निर्णय ब इजलास ज़गरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **344**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि०, रजिस्टर्ड आफिस 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. शिम्भू दयाल यादव पुत्र श्री मीनाराम यादव
   157, ढाणी, सेडू सिंह वाली, ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ।
   खसरा नम्बर 1141, प्लाट नं० 2, ग्राम पावटा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. रोहिताश यादव पुत्र श्री मीनाराम यादव.
3. श्रीमती सारती देवी पत्नी श्री शिम्भू दयाल यादव
   157, ढाणी, सेडू सिंह वाली, ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ।
4. सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
   1083, बी/एच, पावटा सै० स्कुल, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 5.11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.12.2014 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शिम्भू दयाल यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 1141, प्लाट नं० 2, ग्राम पावटा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर क्षेत्रफल 150 वर्गगज को बन्धक रख कर 10,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक नव ज्योति एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 18.07.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रो की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री शिम्भू दयाल यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 1141, प्लाट नं. 2, ग्राम पावटा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर क्षेत्रफल 150 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

7. आदेश आज दिनांक 4.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला कलक्टर जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर